भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 500

जिसका उत्तर 06.02.2025 को दिया जाना है

दुर्घटनाप्रवण स्थलों की संख्या में कमी

500. श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नागरिकों की सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सड़कों पर दुर्घटनाप्रवण स्थलों की संख्या को कम करने के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा चिह्नित दुर्घटनाप्रवण स्थलों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार सड़क सुरक्षा उपायों के महत्व को बढ़ावा देने और अच्छी गुणवत्ता वाली सड़कों के निर्माण पर ध्यान दे रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) और (ख) सरकार का सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) के विकास, संचालन और रखरखाव के लिए उत्तरदायी है। एनएच पर कुछ स्थानों को दुर्घटनाओं की निश्चित संख्या के आधार पर दुर्घटनाप्रवण स्थलों के रूप में पहचाना जाता है, जिसमें मृत्यु और गंभीर चोटें शामिल हैं। सरकार ने ऐसे दुर्घटनाप्रवण स्थलों पर तत्काल अल्पकालिक उपाय करने के लिए कदम उठाए हैं जैसे कि सड़क चिह्नांकन, साइनेज, क्रैश बैरियर, रोड स्टड, डिलिनेटर, अनधिकृत मध्य मार्ग को बंद करना, यातायात कम करने के उपाय आदि। सड़क ज्यामितीय सुधार, जंक्शन सुधार, कैरिजवे का स्पॉट चौड़ा करना, अंडरपास/ओवरपास का निर्माण आदि जैसे दीर्घकालिक उपाय भी साइट जांच के अनुसार ऐसे ब्लैक स्पॉट पर स्थायी सुधार उपायों के रूप में किए जाते हैं। एनएच पर कुल 13,795 ब्लैक स्पॉट की पहचान की गई है, जिनमें से 9,525 ब्लैक स्पॉट पर अल्पकालिक सुधार उपाय पूरे किए गए हैं और 4,777 ब्लैक स्पॉट पर स्थायी सुधार पूरा किया गया है।

(ग) और (घ) सभी सड़क निर्माण कार्य भारतीय सड़क कांग्रेस के मानकों, दिशा-निर्देशों, मैनुअल, आचार संहिता तथा सड़क एवं पुल निर्माण कार्यों के विनिर्देशों के अनुसार किए जाते हैं। डिजाइन, निर्माण, संचालन एवं रखरखाव के चरणों के दौरान आवश्यक सड़क सुरक्षा उपाय किए जाते हैं। इसके अलावा, सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी राष्ट्रीय राजमार्गों के डिजाइन, निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्ग

परियोजनाओं के उद्घाटन से पूर्व चरण के साथ-साथ मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गों पर नियमित सुरक्षा लेखापरीक्षा के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। निर्माण की वांछित गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए, ईपीसी अनुबंधों में प्राधिकरण अभियंता द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षणों की 100% जांच, नमूना आधार पर गुणवत्ता जांच, गुणवत्ता के संबंध में अनुबंध/रियायत समझौते के प्रावधानों का सख्त कार्यान्वयन, विफल/दोषपूर्ण कार्यों के लिए ठेकेदारों और सलाहकारों को दंडित करना आदि जैसे उपाय किए गए हैं।

*****